

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 932] No. 932] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2003/आष्ट्रिवन 16, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2003/ASVINA 16, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2003

का आ 1186(अ).— केन्द्रीय सरकार बन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 9 के उप नियम (1) के अनुसरण में एतद्वहारा मुख्य वन संरक्षन, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्वालयण एवं वन मंत्रालय को उनके क्षेत्रीय केन्द्रीयकार में आने वाली वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गढ़ हुए किसी क्रियत अपराध के संबंध में ऐसे अपराध के लिए प्रथम दृष्टि में दोषी चाए गए किसी व्यक्ति के किरूद्ध, जिस क्षेत्राधिकार में यह मामला हुआ है वहां के क्षेत्राधिकार में पढ़ने वाले न्याणालय में, शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रधिकत करती है।

[फा॰ सं॰ 5-5/98-एफसी]

एर० के० जोशी. वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2003

S.O. 1186(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Forest (Conservation) Rules, 2003, the Central Government hereby outhorizes the Chief Conservator of Forests, Regional Office, Ministry of Environment and Forests, having regional jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is alleged to have been committed, to file complaints against persons prima-facie found guilty of such offence, in the court having jurisdiction in the matter.

[F.No. 5-5/98-FC]

N. K. JOSHI, Director General of Forests and Spl. Secy.

2906 GI/2003

æ